दैनिक भारत कि
# तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

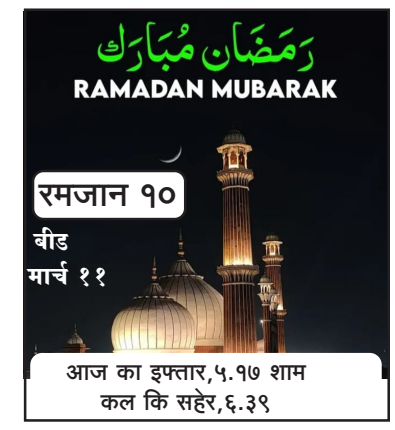





बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२१७ वा | सोमवार १० मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

# लाडकी बहनों को अभी एक साल और १५०० रुपये ही मिलेंगे!

## राज्य का ४५,८९१ करोड़ रुपये घाटे वाला बजट पेश

**मुंबई, १० मार्च (जमीर काजी): महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष २०२५-२६ का बजट पेश किया, जिसमें लाड़की बहन योजना के तहत प्रति माह २१०० रुपये देने की घोषणा नहीं की गई। सरकार ने महिला लाभार्थियों को फिलहाल १५०० रुपये प्रति माह ही देने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए ३६,००० करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। ४५,८९१ करोड़ रुपये के घाटे वाले इस बजट में कोई नई योजना लागू नहीं की गई, बल्कि बुनियादी ढांचे और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में यह बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा २०४७ तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट है। उन्होंने दावा किया कि, महाराष्ट्र अब रुकेगा नहीं, विकास अब टलेगा नहीं।**

## परिवहन और बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर

कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता

अजित पवार ने कहा कि बजट में कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके माध्यम से देश और विदेशी निवेश में वृद्धि, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बजट के जरिए मतदाताओं का सरकार पर जताया गया विश्वास सही साबित होगा।

विधान परिषद में यह बजट अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल ने पेश किया।

राज्य में निवेश और रोजगार के बड़े दावे

उपमुख्यमंत्री पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास में हमेशा अग्रणी रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ऋऊख) के मामले में भी देश में शीर्ष पर है।

उन्होंने बताया कि दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक सम्मेलन (जनवरी २०२५) के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने ६३ कंपनियों के साथ समझौता किया, जिससे राज्य में १५.७२ लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और १६ लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने सरकारी कंपनियों पर बकाया करों की माफी के लिए महाराष्ट्र कर, ब्याज, पेनल्टी या विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बकाया निपटारे) योजना २०२५ की घोषणा भी की। इस योजना का लाभ ३१ दिसंबर २०२५ तक लिया जा सकेगा।

छत्रपति संभाजी महाराज के स्मारक का निर्माण

अजित पवार ने घोषणा की कि कोकण के संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके अलावा तुलापुर और वडू बुद्रुक स्थित उनके समाधि स्थल का विकास कार्य भी जारी है। बजट की प्रमुख बातें:

**महंगी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा**

१. निर्यात और औद्योगिक विकास:

राज्य में ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्र (डएन), ८ कृषि निर्यात क्षेत्र और २७ औद्योगिक पार्क विकसित किए गए।

महाराष्ट्र देश के कुल निर्यात में १५.४% योगदान दे रहा है।

एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। २०२३-२४ में राज्य से ५.५६ लाख करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जबकि २०२४-२५ में नवंबर तक ३.५८ लाख करोड़ का निर्यात दर्ज किया गया।

२. लॉजिस्टिक और व्यापार केंद्र:

महाराष्ट्र लॉजिस्टिक पॉलिसी-२०२४ लागू की गई, जिसके तहत १०,००० एकड़ में लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे। इससे ५ लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को इंटरनेशनल ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

वांद्रे-कुर्ला, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार-बोईसर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनाए जाएंगे।

मुंबई की अर्थव्यवस्था को २०३० तक ३०० अरब डॉलर और २०४७ तक १.५ ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य।

३. वित्तीय स्थिति:

राज्य की राजकोषीय घाटा जीएसडीपी (ऋडउझ) का ३% से कम रखा गया है।

राज्य की राजस्व घाटा भी लगातार १% से कम बनी हुई है। २०२५-२६ के लिए राजकोषीय घाटा १.३६ लाख करोड़ रुपये अनुमानित।

४. बुनियादी ढांचा और परिवहन:

वाढवण बंदरगाह, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बुलेट ट्रेन, मल्टीमॉडल कॉरिडोर, मेट्रो प्रोजेक्ट और अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्राथमिकता।

५ वर्षों में ४० लाख करोड़ रुपये के निवेश से ५० लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

५. कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण:

२०२३-२४ में कृषि विकास दर ३.३% थी, जो २०२४-२५ में बढ़कर ८.७% हो गई। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्था सुधारने और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कृषि उपज को अधिक मूल्य दिलाने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी।

६. जीएसटी और राजस्व बढ़ोतरी:

राज्य के जीएसटी राजस्व में हर साल १२-१४% की वृद्धि।

७. सड़कों और परिवहन सुविधाओं का विस्तार: हाईवे, बंदरगाह, हवाईअड्डे, जलमार्ग, बस सेवा, रेलवे और मेट्रो के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन।

ग्रामीण सड़कों और जिला राजमार्गों के लिए सर्वाधिक धनराशि निर्धारित।

८. आवास और शहरी विकास:

सभी के लिए आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में १५,००० करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों में ८,१०० करोड़ रुपये आवंटित। नवीनतम आवास नीति जल्द लागू की जाएगी।

९. योजनाओं का डिजिटलीकरण और उइढ: १ अप्रैल २०२५ से सभी लाभार्थी योजनाओं का भुगतान उइढ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए होगा।

१०. सांस्कृतिक और पर्यटन विकास:

तीर्थक्षेत्र विकास और पर्यटन स्थलों के उन्नयन के लिए बजटीय प्रावधान।

जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

११. शिक्षा और न्यायिक सुधार:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा में छात्राओं को १००% शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी।

राज्य के न्यायालयों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

निष्कर्ष:

महायुती सरकार का यह बजट बुनियादी ढांचे, उद्योग, लॉजिस्टिक और निवेश को प्राथमिकता देने वाला बताया गया है, लेकिन लाडकी बहन योजना, किसान कर्जमाफी और ग्रामीण विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया, जिससे विपक्ष ने इसे घोषणाओं की बाढ़ और फंड की कमी वाला बजट करार दिया। तथा अल्पसंख्यको को भी नजरंदाज किये जाने कि चर्चा है।

## बजट विकास को गति देने वाला-पंकजा मुंडे

**राज्य की पशुपालन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोकण की उल्हास और वैतरणा नदियों के ५४.७० ढचउ पानी को गोदावरी बेसिन में मोड़ने की योजना मराठवाड़ा के २.४ लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई का लाभ देगी।**

# रमजान के दौरान देर रात तक दुकानें खोलने की अनुमति-महाराष्ट्र सरकार

## सना मलिक कि कामयाब पैरवी



मुंबई,१० मार्च ( तामीर न्यूज ) (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देर रात तक खोलने की अनुमति दी है। राज्य के श्रम आयुक्तालय ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य सना मलिक शेख के अनुरोध का सकारात्मक जवाब दिया है।

शेख को लिखे आधिकारिक पत्र में श्रम आयुक्त डॉ. एस. पी. उमथे ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम, १९४८ के तहत आमतौर पर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कामकाज के समय निर्धारित होते हैं। हालांकि, त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष रियायत देते हुए दुकानों को देर रात तक खुला रखने की अनुमति दी है।

त्योहारी सीजन के लिए समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति

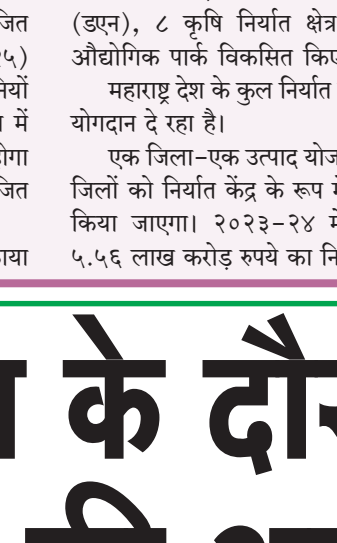


महाराष्ट्र शासन
कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय
कामगार भवन, ई-ब्लॉक, सी-२० बांद्रे-कुर्ला संकुल, बांद्रे (पूर्व),मुंबई-४०० ०५१.
"बाल कामगार कामावर ठेवणे गुन्हा आहे"

फोन नं.०२२- २६५७३७३३ Email – lcmhdesk13@gmail.com
क्र. काआ/मदुवआ/शा.संकिर्ण/प्र.क्र.०१/२०२५/कार्या-१३/२५५१ दिनांक- 27 FEB 2025

प्रति,
मा. श्रीम. सना मलिक शेख
विधानसभा सदस्य,
(१७२-अणुशक्तीनगर विधानसभा)
यश सिग्नेचर, पहिला मजला,
टेलिकॉम फॅक्टरीसमोर, व्ही. एन. पुरव मार्ग,
देवनार, मुंबई-४०० ०८८.

विषय :- दिनांक १/३/२०२५ ते ३०/३/२०२५ पर्यंत रमजान सणामध्ये उशिरापर्यंत दुकाने व आस्थापने सुरु ठेवणेबाबत.
संदर्भ :- क्र.५२३, दिनांक १७/२/२०२५ रोजीचे पत्र

महोदया,
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, दुकाने व आस्थापनांमधील कामगारांच्या सेवाशर्ती नियमित करण्याकरिता महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ हा अधिनियम राज्यात अधिसूचित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये लागू होता. या अधिनियमातील कलम १०, ११, १३, १९ तसेच कलम २६ मधील तरतुदीनुसार विशिष्ट वर्गवारीच्या आस्थापना उघडण्याच्या व बंद करण्याच्या वेळा निश्चित करण्यात आलेल्या होत्या. तथापि, काही सणांच्या किंवा उत्सवाच्या प्रसंगी उदा- दिवाळी, गणेश उत्सव, रमजान ईद, नाताळ इत्यादि कालावधीत दुकाने व आस्थापना निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळेत व्यवसायाकरिता सुरु ठेवण्यास शासनाकडून वेळोवेळी अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत होती.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ हा अधिनियम निरसित केला असून त्याऐवजी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ हा अधिनियम पारित केला आहे. सदर अधिनियम दिनांक १९/१२/२०१७ पासून संपूर्ण राज्यात अंमलात आलेला आहे. पूर्वीच्या अधिनियमांतर्गत दुकाने व आस्थापना उघडणे व बंद ठेवणे बंधनकारक होते तथापि, नव्याने पारित केलेल्या अधिनियमामध्ये दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकास आवश्यक असल्यास तीन पाळ्यांमध्ये व्यवसाय सुरु ठेवण्यास मुभा आहे. मात्र सदर आस्थापनेतील कामगारांना आठवड्यातून एक साप्ताहिक सुट्टी देणे आणि आठ तासापेक्षा जास्त काम देवु नये हे बंधनकारक आहे. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे रमजान महिना, दिवाळी, नाताळ इत्यादी सणांकरिता दुकाने व आस्थापना यांना व्यवसायाकरिता अधिक वेळ सुरु ठेवण्याबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत असे, त्याची आता आवश्यकता नाही.

आपला विश्वासु,
(डॉ. एच. पी. तुम्मोड, भा.प्र.से.)
कामगार आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई

राज्य सरकार ने ४ अप्रैल २०२५ से ३० अप्रैल २०२५ तक दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के समय को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य त्योहारी सीजन में बढ़ती ग्राहक मांग और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना है। अब व्यापारी अपनी दुकानों को तय समय से अधिक समय तक खोल सकते हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

रात में संचालन के लिए दिशानिर्देश

हालांकि सरकार ने देर रात तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होगा:

कर्मचारियों पर अनावश्यक कार्यभार न डाला जाए। सुरक्षा और श्रम कानूनों का पालन किया जाए। प्रतिष्ठानों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखी जाए। व्यापारियों को राहत, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा इस फैसले से दुकानदारों और व्यापारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई बिक्री का लाभ उठा सकेंगे। पहले भी सरकार ने विशेष मौकों पर ऐसी छूट दी थी, और इस बार भी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकार की आधिकारिक पुष्टि श्रम आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देर रात तक काम करने की छूट दी गई है, लेकिन उन्हें श्रम कानूनों का पालन करना होगा। सरकार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी ताकि व्यापारियों और कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। व्यापारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## मादलमोही: ८ वर्षीय हंजला अबुतल्हा खतीब ने रखा जीवन का पहला रोजा

मादलमोही: गांव के ८ वर्षीय हंजला अबुतल्हा खतीब ने इस साल पवित्र रमजान माह में अपने जीवन का पहला रोजा रखा। उन्होंने सोमवार, १० मार्च को सुबह ५ बजे रोजा रखा और शाम ६ बजकर ३९ मिनट पर रोजा खोला। इस खास मौके पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने हंजला की हिम्मत और इबादत की सराहना करते हुए उसका उत्साहवर्धन किया और बधाई दी।

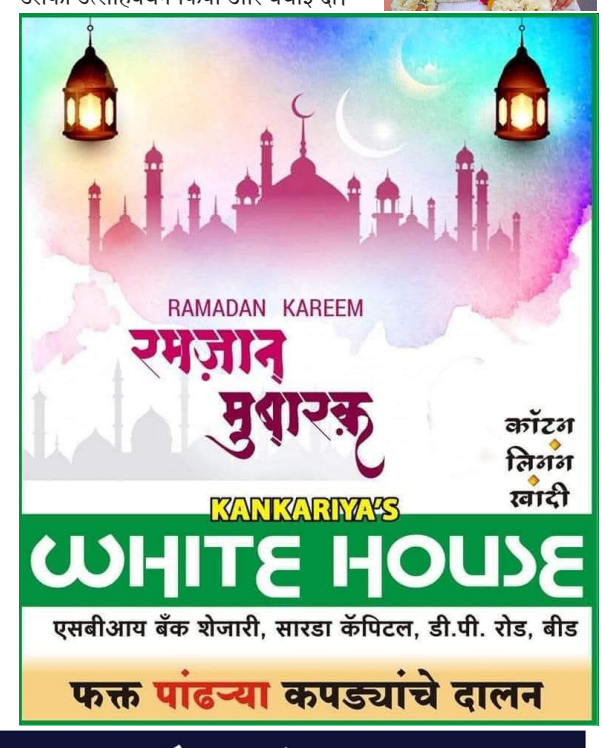






## उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

# महायुती का बजट घोषणाओं की भरमार, फंड का अकाल-कांग्रेस का निशाना

मुंबई: महायुती सरकार जिन बहनों, किसानों, वंचितों और आदिवासियों के वोटों से सत्ता में आई, उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रही है। चुनाव से पहले गुलाबी जैकेट पहनकर घूमने वाले नेता अब न तो वह जैकेट याद रख पाए और न ही 'लाडकी बहनें', ऐसी कड़ी आलोचना कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने की।

आज बजट सत्र समाप्त होने के बाद महाविकास अघाड़ी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वडेट्टीवार ने कहा कि यह बजट सिर्फ घोषणाओं का अंबार है, लेकिन फंड

की भारी कमी और सरकार की जुमलेबाजी को उजागर करता है।

लाडकी बहनों और किसानों के साथ छल

महायुती सरकार का पहला बजट आज वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया, लेकिन इसमें लाडकी बहन योजना के तहत २१०० रुपये देने की कोई घोषणा नहीं की गई। इतना ही नहीं, बजट भाषण में 'लाडकी बहनों' का जिक्र तक नहीं किया गया। योजना में नए-नए नियम जोड़कर महिलाओं को अपात्र बनाया जा रहा है, वहीं सरकार ने इसके लिए कोई अतिरिक्त फंड भी नहीं दिया, जिससे साफ है कि सरकारी खजाने में धन की कमी है।

वडेट्टीवार ने आगे कहा कि सरकार ने किसानों के साथ भी धोखा किया है। चुनाव प्रचार के दौरान महायुती सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन आज के बजट में किसानों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। उन्होंने सवाल किया कि अब जब बैंक किसानों को कर्ज नहीं देंगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा

इस बजट में मुंबई और पुणे के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के लिए भारी फंड आवंटित किया गया, जबकि बचा हुआ पैसा नागपुर के प्रोजेक्ट्स को दे दिया गया। लेकिन ग्रामीण इलाकों की योजनाओं और विकास परियोजनाओं की पूरी तरह अनदेखी की गई। वडेट्टीवार ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या यह बजट सिर्फ ठेकेदारों के लिए बनाया गया है? उन्होंने कहा कि इस बजट से साफ हो गया है कि दलितों, वंचितों, आदिवासियों और आम नागरिकों को यह सरकार भूल चुकी है।

अज्ञान अक्सर भय को जन्म देता है। जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो मनुष्य उसे लेकर आशंकित रहता है। यही आशंका असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है और अंततः यह भावना द्वेष और नफरत में बदल जाती है। वर्तमान समय में यही स्थिति इस्लाम धर्म को लेकर देखी जा सकती है। एक ऐसा धर्म, जो सफलता, शांति और सुरक्षा की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन देता है, उसे एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं।

नाजी प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्स का एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर किसी झूठ को बार-बार दोहराया जाए, तो वह सच लगने लगता है। इसी रणनीति के तहत इस्लाम को गलत तरीके से प्रस्तुत किया

प्राप्त करना हर इंसान का अधिकार है, और इसी कारण ईश्वरीय व्यवस्था सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है।

# इस्लाम: शांति और समर्पण का धर्म

विशेष

अर्शद शेख
ऑर्किटेक इंजिनिअर

इस्लाम: सबसे प्राचीन जीवन प्रणाली

कुछ लोग यह समझते हैं कि इस्लाम केवल १४०० साल पुराना धर्म है और इसे पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) ने स्थापित किया था, लेकिन यह धारणा गलत है। इस्लाम दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसे सृष्टि के पहले मानव आदम (अलै.) लेकर आए थे। ईश्वर ने समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में अपने दूत (प्रेषित) भेजे, जिन्होंने उसी दिव्य मार्गदर्शन को आगे पहुँचाया। पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) इस्लाम धर्म के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि वे अंतिम प्रेषित हैं और कुरआन अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ है। दुनिया के अन्य धर्मों के नाम अक्सर किसी व्यक्ति या स्थान पर आधारित होते हैं, लेकिन इस्लाम का नाम किसी जाति या व्यक्ति पर नहीं रखा गया, बल्कि यह एक जीवनशैली का नाम है – अर्थात वह जीवनशैली जिसमें इंसान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सदाचार को अपनाए और दुराचार से बचे।

इस्लाम: एक तार्किक और वैज्ञानिक जीवन प्रणाली

इस्लाम केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक, सरल और न्यायसंगत जीवन प्रणाली है। इस्लाम का उद्देश्य केवल पूजा-पद्धति सिखाना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के चरित्र, नैतिकता, क्षमता और प्रतिभा को सर्वोत्तम स्तर तक ले जाकर उसे सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता दिलाना चाहता है। इसी कारण इसकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं हो सकती। ईश्वरीय धर्म का आधार ही तर्क, विज्ञान और प्राकृतिक जीवनशैली पर है। यह व्यवस्था न केवल सरल और व्यवहारिक है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को एक महान उद्देश्य भी प्रदान करती है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्यप्रणाली भी देता है। यही कारण है कि इस्लाम को केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला कहा जाता है।

पुस्तक का उद्देश्य इस पुस्तक के माध्यम से मैंने इस्लाम के ज्ञान के महासागर को अत्यंत संक्षिप्त और सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि इस प्रयास में मुझसे कोई गलती हुई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। मेरी प्रार्थना है कि यह पुस्तक भारतीय समाज में प्रेम, भाईचारा और सौहार्द को बढ़ाने का माध्यम बने और लोग इस्लाम को उसके वास्तविक स्वरूप में समझ सकें।

गया है। देश के सामने कई गंभीर समस्याएँ हैं, लेकिन इन वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा दिखाने की कोशिश की जा रही है।

जनसाधारण तक इस्लाम की वास्तविक शिक्षाएँ कभी उनके मूल रूप में नहीं पहुँचीं। या तो वे इसे इसके विरोधियों के प्रचार के माध्यम से जानते हैं या फिर कुछ तथाकथित प्रगतिशील और सुधारवादी लोगों के नजरिए से, जो खुद इस्लाम की मूल शिक्षाओं से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में इस्लाम का वास्तविक स्वरूप समाज के सामने बहुत कम ही आ पाया है। यही कारण है कि इस धर्म के प्रति लोगों में अस्पष्टता, अज्ञान और गलतफहमियाँ बनी हुई हैं।

धर्म को समझने का सही तरीका

वास्तव में, किसी भी धर्म की अवधारणाओं को समझने के लिए उसके मूल स्रोतों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जब तक कोई धर्म उसके वास्तविक सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा जाता, तब तक उसके बारे में सही धारणा बनाना मुश्किल है। अधूरी और अनौपचारिक जानकारी के आधार पर किसी भी धर्म के बारे में राय बनाना सिर्फ अज्ञानता को दर्शाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुस्तक इस्लाम – द अल्टिमेट आर्ट ऑफ लिविंग में इस्लाम की अवधारणाओं को उनके मूल स्रोतों – कुरआन और हदीस के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक का मकसद इस्लाम की सही और प्रमाणिक जानकारी को लोगों तक पहुँचाना है ताकि इससे जुड़े भ्रम और गलतफहमियों को दूर किया जा सके। जब इस्लाम को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाएगा, तो निश्चित रूप से इससे जुड़ी असुरक्षा और पूर्वाग्रह भी खत्म होंगे और समाज में आपसी विश्वास और सौहार्द बढ़ेगा।

शांति, भाईचारा और सौहार्द के बिना कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। किसी भी समाज में अलग-अलग विचारधाराएँ प्रचलित होती हैं और जब इन विचारों का आपस में सम्मान किया जाता है, तो विकास के नए रास्ते खुलते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारा बढ़ाने का मेरा उद्देश्य है। इस्लाम का अर्थ है समर्पण और इसका एक अन्य अर्थ शांति भी है। यह धर्म मानवता को एक ऐसी जीवनशैली प्रदान करता है जो सुरक्षा, सफलता और शांति की ओर ले जाती है। इस्लाम केवल किसी एक जाति, संप्रदाय या समूह की धरोहर नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवजाति के लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इस जीवनव्यवस्था पर सभी का समान अधिकार है। जीवन में सफलता और शांति

# राज्यसभा सचिवालय में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम

नई दिल्ली – अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा सचिवालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक की प्रगति और शेष चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई।

इस अवसर पर राज्यसभा के महासचिव श्री पी. सी. मोदी और संयुक्त सचिव सुश्री गरिमा जैन सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में समावेशी और समान समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

यह विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक संगोष्ठी महिला अधिकारों, उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और भविष्य की राह पर केंद्रित रही। उपस्थित सभी गणमान्यजनों ने महिलाओं के लिए समान अवसर और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई इस मौके पर फौजिया खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए.

# गरजमंदों को रमजान किचन किट वितरण एवं मार्गदर्शन शिविर संपन्न

बीड़:( संवाददाता )बीड़ शहर के ताज फंक्शन हॉल में सोमवार, १० मार्च को गरजमंद परिवारों को किचन किट वितरण एवं विभिन्न योजनाओं पर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मा. शेख निजाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें एमआईएम के जिला अध्यक्ष शेख शफीक भाऊ, समाजसेवी मुसा खान, मौलाना आज़ाद मंडल के जिला व्यवस्थापक इमरान कादरी, नगरसेवक सादिक भाई और सलाम सेट प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस आयोजन के संयोजक राजू भाई और जुबेर खान थे।

कार्यक्रम में ५०० कामगारों को किचन किट वितरित किए गए, साथ ही संजय गांधी निराधार योजना और श्रावण बाल योजना के २०० प्रस्ताव तैयार किए गए। इसके अलावा, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की जानकारी भी लाभार्थियों को दी गई।

इस मौके पर शेख निजाम भाई ने उपस्थित लाभार्थियों का मार्गदर्शन किया, जबकि शफीक भाऊ और मुसा खान ने आयोजकों राजू भाई और जुबेर खान के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह समाज सेवा जारी रखने की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को सफल बनाने में हाफिज अथर साहब, अफसर भाई, तय्यब भाई, साद भाई और सुरैया खान बाजी का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर समाजसेवी मुसा खान पठान को भी ५०० किचन किट वितरण कार्यक्रम में जरूरतमंदों का मार्गदर्शन करते हुए देखा गया।

# होली-जुमा एक दिन, १०० से ज्यादा जगहों पर होगी कड़ी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों पर रहेगा फोकस, सड़कों में दिखेंगे पैरा मिलिट्री के जवान

नवी दिल्ली: संवादाता

राजधानी दिल्ली में होली और जुमा को लेकर पुलिस पहले से सतर्क हो गई है। वहीं इस दौरान हुड़दंगियों पर नजर रखने और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने इंतजाम किए हैं। सुरभा की तैयारियों को लेकर सामने आया है कि पुलिस ने १३ और १४ मार्च को करीब नौ हजार स्थानीय पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी।

इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी को भी आगामी होली और जुमे की नमाज के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर लगी गई है।

ऋड्ढ विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने नोएडा

में की आत्महत्या

झच-धऋ राजस्थान में आदिवासियों की 'प्रथा' बनी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राह में रोड़ा, बड़ी संख्या में मकान अटके

१०० से ज्यादा इलाकों की हुई पहचान

उन्होंने कहा कि पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है। अधिकारी हमने १०० से अधिक स्थानों की पहचान की है। जहां हम अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने सूत्रों ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व एक ही समय पर होने वाले समारोहों के दौरान अशांति पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके चलते संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे।

इन जगहों पर होगा खास फोकस

एक सूत्र ने कहा कि हमने भजनपुरा, दिलशाद गार्डन, जगतपुरी, खजूरी खास, जाफराबाद, जहांगीरपुरी, आजादपुर, सीलमपुर, ओखला, चांद बाग, खजूरी, मुस्तफाबाद, शिव विहार, जाफराबाद, मौजपुर, ब्रह्मपुरी, त्रिलोकपुरी और जामिया नगर को संवेदनशील इलाकों में शामिल किया है।

दिल्ली पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया है कि अतिरिक्त निगरानी के लिए जवानों को सिविल ड्रेस में भी तैनात किया जाएगा। ये समय पर हस्तक्षेप करकने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे, जिससे कोई अप्रिय घटना हो ही न सके।

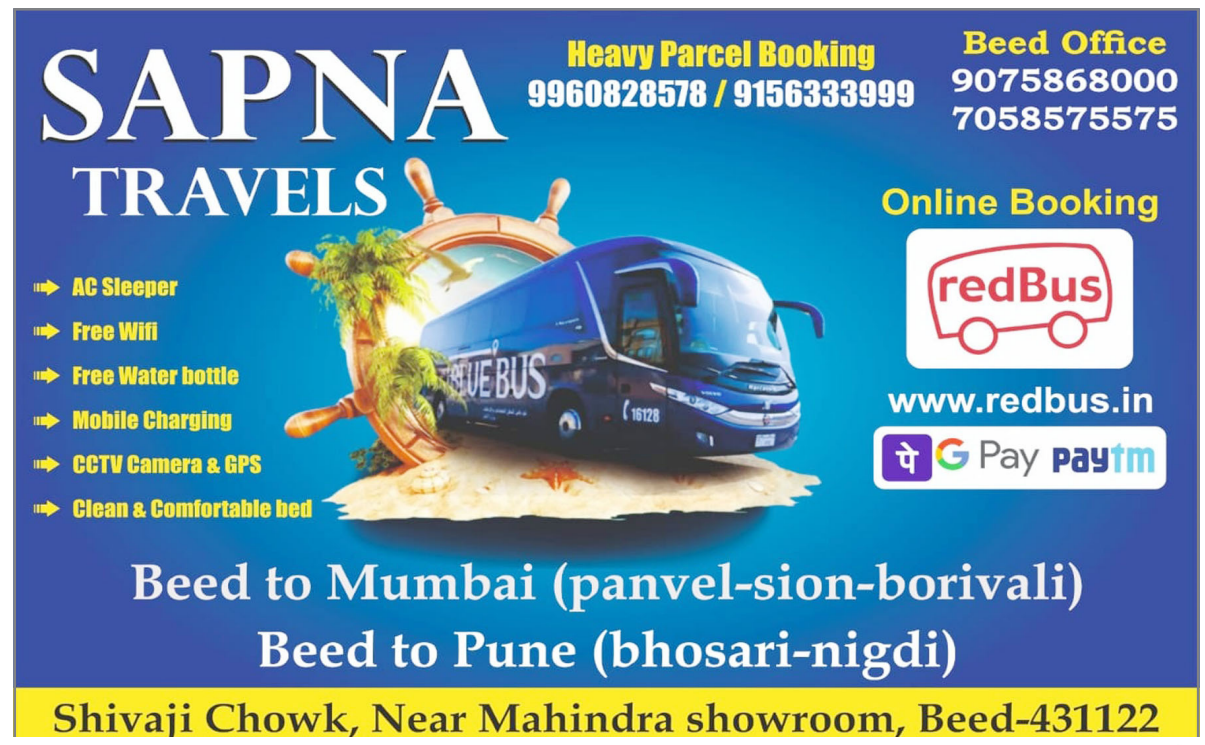


दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com